31.8.2020

पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रार्थीपक्ष उप०
बहस वकील अप्रार्थीपक्ष का मनन किया गया।
पत्रावली का अवलोकन किया गया। सायल
ने मंदिर गोविन्द देव जी की ओर से यह
प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय
का प्रस्तुत किया है कि ख०नं० 317, 319,
320 कुल किता 3 कुल रकबा 21 बीघा 9 बिस्वा
कस्बा करौली ठाकुरजी की खातेदारी व कब्जे
काश्त की है। ठा० गोविन्द देव जी सास्वत
नाबालिग है। सायल की सेवा पूजा
व भोग राग जमीन की व्यवस्था अग्रवाल
समाज करौली द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों
द्वारा की जाती है। आराजी सायल की
ओर से साल दर साल लीज पर 2000/-रूपये
साल पर दे रखी थी गैर सायल पर दि० 1.7.10
से दि० 30.6.15 तक 10000/-रूपये लीज
राशि बकाया है। जिसके अदा करने का दि०
30/6/15 को लीज कैन्सिल करने व बकाया
राशि जमा कराने का रजिस्टर्ड नोटिस गैर
सायल नं. 1 को सायल द्वारा दिया गया और
नोटिस के बाद सायल को जमीन का कब्जा
नहीं संभलवाया गैर सायल नं. 1 उक्त
आराजी मे जबरन प्लाट काटकर रहन

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2020.09.17 11:12:55 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

वय करने व निर्माण करने पर तुला हुआ है और दि० 2-8-95 को इस बाबत गैर सायल नं. 1 ने धमकी दी है। इसलिए सायल गैरसायल नं. 1 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है। और प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

गैर सायल नं. 1 ने प्रार्थनापत्र को अस्वीकार कर कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी सायक ठाकुरजी के खातेदारी व कब्जे की नहीं है। सायल ने 2000/- रुपये साल पर भूमि नहीं दे रखी है। गैरसायल पर सायल के दिनांक 1-7-2010 से दि० 30-6-15 तक 10000/- रुपये लीज राशि बकाया नहीं है। उक्त आराजी कार्य वाहक सदस्य सूरजलाल के नाम कोमी छूटी सूरजमल गैरसायल नं. 1 का दादा लगता है। वर्ष 1974 मे सूरजमल ने गैरसायल को बेचान जमीन का कर दिया तभी से गैरसायल जमीन पर काबिज है काश्त है। भूमि को काबिल काश्त बनाया है। लाखो रुपये खर्च कर लेविल कराया है। जो सायल की पूर्ण जानकारी मे है। सायल को गैरसायल के बेदखल करने का अधिकार नहीं है। न ही हर्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। और प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का कथन किया है।

पत्रावली के अवलोकन से पत्रावली मे प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सं. 2068 से 2071 मे वादग्रस्त आराजीयात सायल ठाकुरजी मन्दिर श्री गोविन्द देव जी के खाते दारी मे दर्ज है। मं. गोविन्द देव जी की खुद काश्त भूमि है और ठाकुरजी शाश्वत नाबालिग है। जिसके हितो की रक्षा के लिए वादग्रस्त आराजीयात की मौका व राजस्व रिकार्ड की स्थिति यथावत रखा जाना उचित है। प्रार्थना पत्र सायल स्वीकार किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2020.09.17 11:12:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अत: प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सायल स्वीकार किया जाता है। गैरसायल नं. 1 को ता फैसलावाद पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वह आराजी ख. नं. 317, 319, 320 कुल किता 3 कुल रकबा 21 बीघा 9 बिस्वा कस्बा करौली तहसील करौली पटवार हल्का नं. 8 के मौका व राजस्व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे दिनांक 26-10-15 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा कन्फर्म की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल दावा पत्रावली मे शामिल रहे। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी करौली (राज०)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2020.09.17 11:12:55 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner